भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 475
दिनांक 22 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृहों की स्थिति

475. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल सुधार गृहों की स्थितियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में किसी समिति का गठन किया था;
(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और सरकार उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
(ग) बाल सुधार गृहों के बारे में लगातार समाचारपत्रों में प्रकाशित हो रही प्रतिकूल टिप्पणियों के मद्देनज़र बाल सुधार गृहों के प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के अनुसार, बाल कल्याण समिति को देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रतिमाह कम से कम दो बार निरीक्षण करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को कार्रवाई की अनुशंसा करने का अधिदेश दिया गया है (धारा 30(viii))। किशोर न्याय बोर्ड को धारा 8(ञ) के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रतिमाह कम से कम दो बार निरीक्षण करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को कार्रवाई की अनुशंसा करने का अधिदेश दिया गया है।

किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) और उसके तहत निर्मित किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 में अन्य बातों के अलावा, बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मानदंड निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। जेजे अधिनियम की धारा 109 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जेजे अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है।

यह मंत्रालय जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी बाल देखरेख संस्थानों को पंजीकृत करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करता रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल देखरेख संस्थान अधिनियम और नियमावली के तहत देखभाल और संरक्षण के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों से कम स्तर की सेवाएं प्रदान न करें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से भी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय ने किसी बाल देखरेख संस्थान में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में बच्चों के जीवन में किसी व्यवधान के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी भी जारी की है।

*****